निर्णय बईजलास अजय सिंह राठौड़ आई0ए0एस0 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,झालावाड़ (राजस्थान)

मिसल न0 07/24 तारीख दायरा 07.02.2024

तोलाराम आत्मज मांगीलाल जाति मीणा निवासी कड़ीखेड़ी पुलिस थाना सारोलाकलां जिला झालावाड़ राजस्थान अपीलांट

बनाम

लाईसेंस ऑथोरिटी (एसडीएम) खानपुर जिला झालावाड़ रेस्पोण्डेंट

अपील अंन्तर्गत धारा 18 आर्म्स एक्ट बनाराजगी आदेश दिनांक 28.06.2019 उपखण्ड मजिस्ट्रेट खानपुर जिसके द्वारा दो नाली टोपीदार बंदूक नं0 2592 लाईसेंस नं0 2925 निरस्त किया गया।

उपस्थितः— पेरोकार सरकार
श्री विजय जैन, अभिभाषक अपीलांट

—: निर्णय :— दिनांकः 21.05.2024

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड मजिस्ट्रैट खानपुर द्वारा उनके द्वारा जारी आदेश संख्या न्याय/19/854(3) दिनांक 28.06.2019 को अपीलांट का लाईसेसं संख्या 2926 एवं बंदूक संख्या 2592 दो नाली टोपीदार को निरस्त किया गया है जिससे आहत होकर अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय में इस आशय की अपील पेश की है कि अपीलार्थी एक कृषक है, अपीलार्थी कृषि भूमि जंगल के पास स्थित है अपीलांट को आत्मरक्षा व जंगली खतरनाक जानवरों से सुरक्षा हेतु दो नाली टोपीदार बंदूक नं0 2592 का लाईसेंस/अनुज्ञाधारी है जिसका लाईसेंस नं0 2926 है। अपीलांट उक्त लाईसेंस का समय अवधि में नवीनीकरण कराता रहा है तथा अपीलांट का लाईसेंस 31.12.2016 तक रिन्युव्ड था दौराने चुनाव अपीलार्थी की गन थाना सारोला में जमा थी जिसकी गनवापसी की सूचना नहीं दी गई जबकि प्रार्थी अपने गन रिन्यूवल का प्रार्थना पत्र रेस्पोंडेण्ट के कार्यालय में देता रहा परन्तु अपीलांट का गन थाने में जमा होने के कारण भोतिक सत्यापन के अभाव में रिन्यूव्ड नहीं किया गया जिसकी सूचना अपीलांट को रेस्पोंडेण्ड द्वारा नहीं दी गई। अपीलांट बार बार अपने अपने गन लाईसेस को रिन्यू कराने हेतू प्रार्थना पत्र देता रहा तथा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को भी गन लाईसेंस रिन्यूअल के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था परन्तु फिर भी अपीलांट का लाईसेंस रिन्यू नहीं किया गया। अपीलांट को अपनी आत्मरक्षा एवं जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए गन की अत्यन्त आवश्यकता थी। काफी प्रयत्न के बाद अपीलांट को दिनांक 11.01.2024 को पता चला कि अपीलांट का लाईसेंस अन्य लाईसेंसधारकों के साथ दिनांक 28.06.2019 को निरस्त कर दिया गया जिस पर अपीलांट ने दिनांक 18.01.2024 को आदेश की नकल प्राप्त की, गन लाईसेंस को निरस्त करने की पूर्ण जानकारी/ज्ञान होने से माननीय न्यायालय में अपील पेश की है जिसमें अनुतोष अपेक्षित है कि अपीलांट एक कृषक है, अपीलांट का खेत जंगल में है तथा अपनी आत्मरक्षा के लिए गन आवश्यकता सदैव बनी रहती है। लाईसेंस ऑथोरिटी का अपीलांट का गन लाईसेंस निरस्त करने का आदेश विधीसम्मत नहीं होने से निरस्त होने योग्य है जबकि अपीलांट द्वारा लाईसेंस रिन्युअल हेतु मूल लाईसेंस, लाईसेंस ऑथोरिटी के कार्यालय में

जिला कलक्टर झालावाड़

जमा करा दिया था। अपीलांट का किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है, अपीलांट को गन की अत्यधिक आवश्कता स्वयं की सुरक्षा एवं बचाव हेतु है इसलिए आदेश जैरअपील निरस्तनीय है।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेण्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया रेस्पो0 ने अपने पत्र संख्या 285 दिनांक 18.03.2024 से अवगत कराया कि प्रकरण में नियत दिनांक 19.03.2024 को चुनाव कार्य में व्यस्त होने के कारण उपस्थित होने में असमर्थ है तथा पत्रावली वरियतानुसार एकतरफा बहस अपीलांट दिनांक 23.04.2024 को रखी गई उसके पश्चात पत्रावली चुनाव कार्यों में व्यस्तता के कारण बहस आगामी सुनवाई की दिनांक 21.05.2024 को नियत की गई।

पत्रावली में वकील अपीलांट की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी जिरह में अपील के संलग्न धारा 05 सीपीसी समय अवधि से सम्बंधित प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों को दर्शाते हुए स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की है ताकि प्रस्तुत अपील निस्तारित की जा सके। धारा 05 प्रार्थना पत्र पर जिरह सुनने के बाद एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किये जाने पर प्रथम दृष्टतया वकील अपीलांट द्वारा न्यायालय में अपील देरी से प्रस्तुत किये जाने के कारण बताये गए है जो परिसीमा अधिनियम 1963 में विहित शर्तों का पालन नहीं करते है और ना ही अपील देरी से पेश करने का विचाराधीन अपील में किसी भी तरह का दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वकील अपीलांट स्वीकार किया जा सके क्योंकि विचाराधीन अपील उपखण्ड मजिस्ट्रेट खानपुर के आदेश 28.06.2019 पारित किया गया है जिसके विरूद्ध अपीलांट ने उक्त आदेश की अपील दिनांक 07.02.2024 को लगभग 05 साल की समयावधि में की गई है जो आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18(3) के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील गणना परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रावधानों के अनुसार अवधिपार है जो चलने योग्य नहीं है तथा वकील अपीलांट का अपील के संलग्न धारा 05 का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है अतः अपील अपीलांट चलने योग्य नहीं होने से मय प्रार्थना पत्र धारा 05 के साथ मय खर्चा खारिज की जाती हैं। आदेश की प्रति सूचनार्थ उपखण्ड मजिस्ट्रैट खानपुर को भिजवायी जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/5

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड़

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़